स0स0–1 / विविध–10 / 2019– 592 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा मे

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–28 / 03 / 2025

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त किस्त के रूप में रु0 30,15,00,000/– (रुपये तीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के सबध मे कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं0–308(1), दिनाक–07 03 2019 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560 9374 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018--19 मे कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त किस्त के रूप मे रु0 30,15,00,000/– (रुपये तीस करोड पन्द्रह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	आवटनादेश स0 एव दिनाक
1	2020–21	40,70,00,000	स0–33(1), दिनाक–15 01 2021
2	2023–24	5,00,00,000	स0–528(7), दिनाक–23 02.2024
3	2024–25	1,00,00,000	स0–47(7), दिनाक–27.05 2024
4	2024–25	60,00,00,000	स0–135(7), दिनांक–21 08 2024
5	2024–25	65,93,00,000	स0–308(7), दिनांक–23 12 2024
कुल योग–		**1,72,63,00,000/-**	

3–उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–308(1), दिनाक–07 03 2019 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

4–इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

5– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

6–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0--PBBPLA007विपत्र कोड--00-844800111000?-0001? अन्तर्गत ledger ID-----------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7– बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

8– **वित्त विभाग पत्र संख्या– 2867, दिनांक–13.03.2025** की कडिका–2(ii) मे दिये गये निर्देश के आलोक मे पी०एल०खाता में राशि अंतरण के मामले मे वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

9– यह व्ययादेशच वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06 एव 2938/वि0(2), दिनांक–08 04.08, 2199/वि0, दिनाक–24 03 2017, 3758/वि0, दिनांक–31 05 2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/विविध–10/2019 के पृष्ठ–41/टि0 मे प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

13– सबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

28/3/25

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–10/2019– 592 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक– 28/03/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एव 7/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँएव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव